JOINT COMMITTEE REPORT

Original Application No. 136/2025(CZ)

Mainak Bhattacharya Applicant (s)

Vs.

MP State Wetland Authority & Ors. Respondent(s)

Date of Inspection: 29/10/2025

Place of Inspection:- Tulsi Sarovar,

District -Ashoknagar (M.P.)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL
Original Application No. 136/2025(CZ)

IN THE MATTER OF: -

Mainak Bhattacharya Applicant (s)

Vs.

MP State Wetland Authority & Ors. Respondent(s)

INDEX

Sr.	PARTICULAR	ANNEXURE	Page No.
1.	Copy of Hon'ble NGT Order dated 25.09.2025	Annexure-1	1-3
2.	Nomination letters and attendance sheet of the Joint Committee members during inspection.	Annexure-2 to 6	4-10
3.	Details of Tulsi Sarovar Talab as uploaded on the M.P. State Wetland Authority (EPCO) Dashboard**.**	Annexure-7	11
5.	Site Panchnama prepared during the joint inspection held on 29.10.2025.	Annexure-8	12
5.	Information provided by the Chief Municipal Officer, Ashoknagar, Letter No. 5876 dated 29.10.2025.	Annexure-9	13
6.	Copy of the Directorate, Urban Administration & Development, Bhopal letter No. 20926 dated 08.10.2025	Annexure-10	14-15
7	Copy of the Government of India, MoEF&CC notified Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986	Annexure-11	16-29
8	Copy of the Government of India Ministry of Environment, Forest & Climate Change (Wetlands Division) OFFICE MEMORANDUM, Dated 8th March, 2022	Annexure-12	30
9	Copy of Executive Engineer, Water Resources Department, Ashoknagar Letter No. 1260 dated 24.05.2024,	Annexure-13	31
10	Copy of Executive Engineer, Water Resources Department, Ashoknagar Letter No. 683 dated 08.03.2016,	Annexure-14	32
11	Copy of Member Secretary, MP State Wetland Authority (EPCO), Bhopal Letter No. 1963/MPSWA/EPCO/2025 dated 25.08.2025, regarding factual status report and compliance under Section 4(2) of Wetland Rules, 2017.	Annexure- 15	33
12	Copy of Collector, Ashoknagar Letters No. 1281 & 1282 dated 08.09.2025, regarding constitution of Joint Sub-Committee for factual verification of Tulsi Sarovar Talab.	Annexure-16	34-35
13	Copy of Joint Sub-Committee Report Letter No. 653 dated 08.09.2025, submitted to Collector, Ashoknagar, containing field observations.	Annexure-17	36-37
14	Copy of Collector, Ashoknagar Letter No. DUDA/2025/425 dated 09.09.2025, sent to Executive Director, EPCO & Member Secretary, State Wetland Authority, recommending exclusion of Tulsi Sarovar from Wetland category	Annexure-18	38
15	During Inspection taken the photographs	Annexure-19	39-40
16	Proof of Service		41

Place: BHOPAL

Date: 10.11.2025

FILED BY MPPCB

Parul

ADV PARUL BHADORIA
Advocate for MPPCB
Ph.No.:(+91)-8085977111;
Email:parul.bhadoria04@gmail.com

Joint Committee Inspection Report in the matter of Original Application No.136/2025(CZ) Mainak Bhattacharya V/s M.P State Wetland Authority & Ors.

Background:

The Hon'ble NGT (CZ), Bhopal vide its order dated 25th September, 2025 in Original Application No. 54/2025 (CZ) Mainak Bhattacharya V/s M.P State Wetland Authority & & Ors directed as under-

1. *The issue raised in this application is* ***compliance of Wetland (Conservation & Management) Rules, 2017*** *by the Madhya Pradesh Wetland Authority with regard to Tulsi Sarovar, a notified wetland in District-Ashok Nagar, M.P.*
2. *The violations as reported are* ***construction of road leading to an island within the wetland, large concrete wall on the wetland, construction of 52 shops, hospital, a new pond constructed inside the wetland area, construction of public toilet and dumping of soil to the block water inflow,*** *degrading the ecological integrity of the wetland.*
3. *There are unlawful constructions in protected wetlands and discharge of untreated water into the water bodies in violation of rules.*
4. *A substantial issue of environment has been raised.*

7. *We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-*
   i. *One representative from the Madhya Pradesh State Wetland Authority, Environment Planning and Coordination Organisation.*
   ii. *One representative from the Collector, Ashok Nagar, M.P.*
   iii. *One representative from the Water Resource Department, Ashok Nagar, M.P.*
   iv. *One representative from the State PCB nominated by the Member Secretary, Madhya Pradesh.*
8. *The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.* (A copy of the order is attached as **Annexure-01**.)

1. Constitution of the Joint Committee-

The Committee was directed to submit the factual as well as action taken report to the Hon'ble Tribunal. The joint committee was constituted which comprised of the following officers:-

Representative of the Department/ Agency	Nominated Representatives
One Representative from the District Collector, Ashoknagar (M.P.)	**Shri Brijbihari Lal Shrivastava,** Joint Collector, Ashoknagar
One Representative from the Department of Water Resources	**Shri V.K Shakya,** Sub Divisional Officer WRD, Ashoknagar
One Representative from the Member Secretary, State Pollution Control Board, (M.P.)	**Shri D.V.S. Jatav,** Regional Officer, Regional Office, MPPCB, Guna
One Representative from the MP State Wetland Authority, (M.P.)	**Dr. Dinesh Damde,** Assistant Scientific Officer MP State Wetland Authority, Bhopal

In addition to the committee members, Shri B.S. Narwariya, AE, MPPCB–Vijaypur, Guna, Shri Vinod Unnithan, Chief Municipal Officer, Municipal Council, Ashoknagar and Adv. Mainak Bhattacharya, the applicant in this matter, were also present during the site inspection. The nomination order of the committee members and attendance sheet are enclosed as **Annexure–02 & 06**.

2. Brief details of Tulsi Sarovar Talab:

In compliance with the Hon'ble Supreme Court order dated 11.12.2024, ground-truthing and demarcation were carried out by the District Revenue and Forest Officers of the State of Madhya Pradesh, including the Ashoknagar district. Upon completion of this work, the nominated district officer uploaded the verified data through the dedicated Mobile App. The following information pertaining to Tulsi Sarovar Talab has been showed on the Wetland Dashboard of the Madhya Pradesh State Wetland Authority as given below:

Sr.No.	Particulars	Details
1.	District Name	Ashoknagar
2.	Wetland Name	Tulsi Sarovar Talab
3.	Wetland ID	MP000492
4.	Existing Area (Hect.)	51.0468
5.	Surveyed Area	20.785 Hectares
6.	Village Name	Ashoknagar (M)

7.	Status	Demarcated
8.	Area Type	Revenue
9.	Wetland Latitude	24.58098663
10.	Wetland Longitude	77.73896267

The above information is attached as **Annexure- 07.**

3. Field Observations:

The Joint Committee inspected Tulsi Sarovar and its surrounding area in Ashoknagar (M.P.). The observations made during the site inspection are summarized as follows:

(i) One public toilet (S*ochalaya*), twenty-two permanent shops, one community structure (*Dharamshala*), and one temple were observed between wetland boundary and 50 meter MSL (no construction area) of the talab.

(ii) No direct discharge of domestic sewage or dumping of solid waste was observed during the inspection, except nearby Yadav Colony.

(iii) No ongoing hospital construction was found around the talab area.

(iv) Currently, no statue installation or construction work is in progress. The base work appears to be covered with water level.

(v) The central "island" visible within the pond was found to have been formed during the de-siltation and deepening work carried out in 2016–17, wherein the excavated soil was deposited in the middle of the pond.

(vi) A site *Panchnama* was prepared during the visit, which is enclosed as **Annexure–08**.

(vii) The information provided by the Chief Municipal Officer, Municipal Council, Ashoknagar, vide letter no. 5876 dated 29.10.2025, is enclosed as **Annexure–09**.

(viii) During the inspection, the Chief Municipal Officer, Municipal Council, Ashoknagar, also provided the Committee with a letter issued by the Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal, vide letter no. 20926 dated 08.10.2025, granting approval for two Sewage Treatment Plants (STPs) of 4 MLD and 8 MLD capacities, respectively, as per the decision of the State Level Technical Committee (SLTC) meeting held on 10.09.2025. The information is enclosed as **Annexure–10**.

4. Applicability of Wetlands Rules, 2017

Government of India, MoEF&CC notified Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 is annexed as **Annexure– 11.**

In compliance of Hon'ble Supreme Court **order dated October 4, 2017,** (WP No. 230/2001), the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, issued an Office Memorandum on March 8, 2022 mentioned that the 2, 01,503 wetlands (>2.25 ha) as per the National Wetland Inventory and Assessment (NWIA), 2011 should be protected as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 is annexed as **Annexure – 12.**

Restrictions of activities in wetlands as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 are as follows:

The following activities shall be prohibited within the wetlands, namely,-

- (i) Conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;
- (ii) Setting up of any industry and expansion of existing industries;
- (iii) Manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;
- (iv) Solid waste dumping;
- (v) Discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements;
- (vi) Any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,
- (vii) Poaching.

Therefore, Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 shall be applicable to Tulsi Sarovar talab.

In compliance of Hon'ble Supreme Court order dated 11 December 2024 (WP No. 304/2018, Anand Arya Vs Union of India & others along-with WP 230/2001, the Environment Department & Revenue departments have jointly issued a letter to all the District Collectors for Revenue Wetlands. Similarly, Environment Department and Forest department have also jointly issued a letter to all the District Forest Officers (DFOs) including Ashok nagar District to complete Ground Truthing as well as the Demarcation each of which has been listed in the ISRO Atlas, 2021.

As per the available records on the dedicated Dashboard for Ground Truthing and Demarcation of

wetlands, 100% of the work (206 wetlands) has been completed by the Revenue Officer and Forest Officer of the Ashoknagar district.

5. Additional Information received from district administration-

i. As per the letter of the Executive Engineer, Water Resources Department, Ashoknagar (Letter No. 1260 dated 24.05.2024), the construction of *Tulsi Sarovar Talab* was undertaken between 1972 and 1976. The primary purpose of this pond was to irrigate approximately 202 hectares of land located within the command area of its canal. As per Rule 6 of Section 2 of the *Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017*, this pond does not fall under the category of wetlands. The said letter was addressed to the Chief Municipal Officer, Ashoknagar, and a copy is enclosed as **Annexure–13**

ii. Further, as per Letter No. 683 dated 08.03.2016 of the Executive Engineer, Water Resources Department, Ashoknagar, the matter regarding the handover of *Tulsi Sarovar Talab* to the Municipal Council, Ashoknagar, was communicated to the Superintending Engineer, Water Resources Circle, Guna. A copy of the same is enclosed as **Annexure–14**

iii. As per the letter of the Member Secretary, Madhya Pradesh State Wetland Authority (EPCO), Bhopal (Letter No. 1963/MPSWA/EPCO/2025 dated 25.08.2025), addressed to the Collector, Ashoknagar, regarding the installation of a statue at *Tulsi Sarovar Talab*, Ashoknagar, the following has been communicated:

Translated version Hindi to English-

You are requested to kindly refer to the above-mentioned letters. In view of the continuous complaints being received regarding the installation of a statue and construction activities at Tulsi Sarovar Talab*, Ashoknagar*, it has been directed that a factual status report be furnished to the Madhya Pradesh State Wetland Authority in compliance with Section 4(2) of the *Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017*. However, the same is still awaited.

In compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court, physical verification and demarcation of wetlands across all districts of Madhya Pradesh have been carried out by the respective District Administrations. The verified data is available on the Wetland Dashboard at https://geoportal.mp.gov.in/epco/login.aspx. As per the information available on the Dashboard, *Tulsi Sarovar Talab*, Ashoknagar, having Wetland ID **MP000492**, is a demarcated wetland with an area of **20.785 hectares**, situated in Tehsil and District Ashoknagar.

In accordance with the orders passed by the Hon'ble Supreme Court in W.P. (Civil) No. 230/2001 and as per the Office Memorandum dated 08.03.2022 issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Government of India, the restrictions

under Section 4(2) of the *Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017* apply to all wetlands having an area of more than 2.25 hectares included in the Wetland Inventory prepared by ISRO. *Tulsi Sarovar Talab* is also included in the said inventory.

In view of the above, the Collector, Ashoknagar, was requested to take necessary action as per the provisions of the Rules and furnish the factual status report to the Madhya Pradesh State Wetland Authority (EPCO) at the earliest. A copy of the said letter is enclosed as **Annexure–15**.

iv. The Collector, Ashoknagar, vide Letters No. 1281 and 1282 dated 08.09.2025, constituted a Joint Sub-Committee comprising the Sub-Divisional Officer (Revenue), Ashoknagar; the Executive Engineer, Water Resources Department; and the Chief Municipal Officer, Municipal Council, Ashoknagar, to obtain and submit the factual status report of Tulsi Sarovar Talab, Ashoknagar. A copy of the said order and related correspondence is enclosed as **Annexure–16**.

v. The District-Level Joint Sub-Committee, vide Letter No. 653 dated 08.09.2025, submitted its report to the Collector, Ashoknagar. The details of the report are enclosed as **Annexure–17**.

As per the report, the following details were mentioned:

Vide Letter No. 300 dated 22.05.2024, the Tehsildar, Ashoknagar, informed the Chief Municipal Officer, Ashoknagar, that construction work is being carried out in village Pachhari over portions of several survey numbers, namely:

- **Survey No. 276**, area 3.826 ha, recorded in the name of the Government of Madhya Pradesh;
- **Survey No. 274**, area 0.282 ha, recorded in the name of the Government of Madhya Pradesh (*Muram mine*);
- **Survey No. 275**, area 0.063 ha, recorded in the name of the Government of Madhya Pradesh (*Muram mine*);
- **Survey No. 273/1**, area 4.756 ha, recorded in the name of the Government of Madhya Pradesh (*Khal Khaddar*);
- **Survey No. 273/2**, area 0.345 ha, recorded in the name of Bharat Bhushan, S/o Ramashankar Agrawal;
- **Survey No. 273/3**, area 0.366 ha, recorded in the name of Bharat Bhushan, S/o Ramashankar Agrawal; and
- **Survey No. 273/3/2**, area 0.052 ha, recorded in the name of the Government of Madhya Pradesh.

The construction is being carried out on the combined portion of the above survey numbers. According to the report, prior to the construction of the pond, these land parcels were recorded in the revenue records as *Muram mine*, *Khal Khaddar*, and private land.

Vide Letter No. 1260 dated 24.05.2024, the Executive Engineer, Water Resources Department, Ashoknagar, has informed the Chief Municipal Officer, Ashoknagar, that the construction of *Tulsi Sarovar Talab* took place between 1972 and 1976, with the primary purpose of irrigating approximately 202 hectares of agricultural land situated in the command area of its canal.

As per Rule 6 of the *Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017*, the said water body should not be included in the category of wetlands, since the definition under Rule 2(c) defines "wetland" as —"An area of marsh, fen, peat land or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or saline, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed six metres; but does not include river channels, paddy fields, and man-made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purposes, aquaculture, salt production or irrigation."

At present, fish farming activities are being carried out in *Tulsi Sarovar Talab* by the Fisheries Department. It is therefore evident that *Tulsi Sarovar* is a man-made structure primarily used for aquaculture purposes. Accordingly, there exists sufficient ground for its exclusion from the category of "wetlands" under Rule 2(c) of the *Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017*.

vi. Based on the aforesaid report, the Collector, Ashoknagar, vide Letter No. **DUDA/2025/425** dated **09.09.2025**, addressed to the Executive Director, EPCO and Member Secretary, State Wetland Authority, Bhopal, recommended the exclusion of Tulsi Sarovar Talab, Ashoknagar, from the ISRO list of wetlands. In the concluding paragraph of the said letter, it was specifically stated that:

Based on the report received, Tulsi Sarovar talab is being proposed for exclusion from the ISRO list of wetland. A copy of the said letter is enclosed as **Annexure–18**.

6. Committee Recommendation

On the basis of field observations, one public toilet (*sochalaya*), twenty-two permanent shops, one community structure (*Dharamshala*), and one temple were found constructed between the wetland boundary and the 50-meter MSL (no-construction) zone of *Tulsi Sarovar Talab*. Untreated sewage discharge and solid waste dumping were also observed originating from the settlement area of Yadav Colony.

i. District Administration Ashoknagar & Municipal Council Ashoknagar (M.P.) shall ensure the compliance of Rule 4 of Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

ii. Tulsi Sarovar talab should be physically demarcated through pillars/Munares and also demarcate the 50 meter no construction/buffer zone from the wetland boundary by the district administration/revenue officers.

iii. List out the existing encroachments (before and after commencement of Wetland Rules, 2017) and illegal construction and remove them from within the wetland boundary and it 50 meters no construction zone as per the rules.

iv. Solid waste dumping and discharge of untreated water (Yadav Colony) are strictly prohibited in and around the Tulsi Sarovar talab.

v. Regular monitoring to be done every 6 months by the District Wetland Committee of Ashoknagar.

Accordingly, this Joint Committee Report is respectfully submitted to the Hon'ble National Green Tribunal (Central Zone), Bhopal.

7/11/2025

(Dr. Dinesh Damde)
Assistant Scientific Officer,
MP State Wetland Authority, Bhopal

(Brijbihari Lal Shrivastav)
Joint Collector, Ashokanagar

(V.K. Shakya)
S.D.O. WRD, Ashoknagar

(D.V.S. Jatav)
Regional Officer,
MPPCB Vijaypur - Guna

Item No.14

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)

Original Application No.136/2025(CZ)

Mainak Bhattacharyya   Applicant(s)

Vs.

MP State Wetland Authority & Ors.   Respondent(s)

Date of Hearing: 25.09.2025

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. SUDHIR KUMAR CHATURVEDI, EXPERT MEMBER

For Applicant (s):   None.

For Respondent(s) :   None.

ORDER

1. The issue raised in this application is compliance of Wetland Conservation Manual Rules, 2017 by the Madhya Pradesh Wetland Authority with regard to Tulsi Sarovar, a notified wetland in District-Ashok Nagar, M.P.

2. The violations as reported are construction of road leading to an island within the wetland, large concrete wall on the wetland, construction of 52 shops, hospital, a new pond constructed inside the wetland area, construction of public toilet and dumping of soil to the block water inflow, degrading the ecological integrity of the wetland.

3. There are unlawful constructions in protected wetlands and discharge of untreated water into the water bodies in violation of rules.

4. A substantial issue of environment has been raised.

5. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.

7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

    i. One representative from the Madhya Pradesh State Wetland Authority, Environment Planning and Coordination Organisation.
    ii. One representative from the Collector, Ashok Nagar, M.P.
    iii. One representative from the Water Resource Department, Ashok Nagar, M.P.
    iv. One representative from the State PCB nominated by the Member Secretary, Madhya Pradesh.

8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

9. Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the Committee and respondent(s).

10. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **01st December, 2025.**

Sheo Kumar Singh, JM

Sudhir Kumar Chaturvedi, EM

25th September, 2025,
OA No.136/2025(CZ)
PN

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016

क्रमांक 3103/विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2025 भोपाल, दिनांक 08 OCT 2025

// कार्यालय आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना को (पक्षकारों के नाम) प्रकरण क्रमांक 136/2025 (मैनक भट्टाचार्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य) सेन्ट्रल बेच, में म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हे सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने आवेदन पत्र करने और उपसंजात होने के लिये नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म०प्र० विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कतव्यों तथा उत्तदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये है, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

(1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जॉच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका मे उठाये गये समस्त विन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में बोर्ड अभिभाषक को सहायता पहुचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिदिषर्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।

(2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।

(3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे की बोर्ड द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुचाने की सभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(4) उक्त रिर्पोट तथा सामाग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।

(5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।

(6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा:-

   (1) वादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिर्पोट।
   (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
   (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट अपेक्षा की गई है ।
   (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये ।

(7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वंय को सदैव ही अवगत रखना।

(8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तया बोर्ड के विरूद्व पारित किया जाता है तो बोर्ड को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।

क्रमश:- 2

(9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।

(10) यह देखना कि आवेदन करने मे तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करनेए रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने मं समय नष्ट नहीं हो ।

(11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्घ शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सोप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।

(12) प्रभारी अधिकारी,मामला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज आप्रकटिक/छुपी हुई न रह जाये।

(13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।

(14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों मं जहां किसी वाद के प्रक्रम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुर्नरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अग्रेषित करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

अधीक्षण यंत्री(विधि)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

पृ०क्र० 3104 /विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2025, भोपाल, दिनांक 08 OCT 2025

प्रतिलिपि:-

(1) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुना प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले मे अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अग्रेषित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड को सदैव ही भेजी जावे। कृपया प्रकरण की आगामी सुनवाई से पूर्व रिपोर्ट माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके।

(2) श्रीमती पारूल भदौरिया, रिटेनर, सी-609, यूसीआई लॉयर्स चेम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Digitally Signed by: Manoj Kumar Mandrai
Date: 30-09-2025
03:47 pm

अधीक्षण यंत्री(विधि)
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,भोपाल

म. प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण
(म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016
Website- www.swa.mp.gov.in
फोन : (0755)2464318, 2466970

क्रमांक:I/545930/2025

दिनांक:13-10-2025

:: कार्यालय आदेश ::

माननीय एनजीटी, सेंट्रल बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण **O.A. No. 136 2025/ Mainak Bhattacharyaa Vs MP State Wetland Authority and Others** में दिनांक **15.01.2025** को पारित आदेशानुसार गठित तीन सदस्यीय संयुक्त समिति में मध्यप्रदेश राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, भोपाल की ओर से **डॉ. दिनेश दामडे, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,** राज्य वेटलैंड प्राधिकरण, भोपाल मध्यप्रदेश (मो.**9926343831** एवं ईमेल **mpswaepco@mp.gov.in**) को प्रतिनिधि नामांकित किया जाता है। प्रकरण तुलसी सरोवर तालाब अशोक नगर, जिला अशोक नगर से सम्बंधित है ।

(सदस्य सचिव, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Manohar Patil
Date: 13-10-2025
12:54:55

(मनोहर पाटिल)
प्रशासनिक अधिकारी

पृ. क्र.I/545930/2025 दिनांक13-10-2025

प्रतिलिपि -

1. सदस्य सचिव, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को कृपया सादर सूचनार्थ ।
2. सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल को कृपया सूचनार्थ ।
3. प्रभारी अधिकारी, म.प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को कृपया सूचनार्थ ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय जिला-गुना को कृपया सूचनार्थ ।
5. डॉ. दिनेश दामडे, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को पालनार्थ ।

प्रशासनिक अधिकारी

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर

E-mail eewrd_ashoknagar@yahoo.com

पत्र क्रमांक / 2637 / तक. / 2025 अशोकनगर, दिनांक 15 / 10 / 2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गेल कम्पाउण्ड विजयपुर जिला गुना

विषय :– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए 136 / 2025 (CZ) (मैनक भट्टाचार्य एवं बनाम मध्य प्रदेश राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य प्रतिवादी) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भ :– 1)आपका पत्र क्र. 690 / क्षे.कार्या. / म.प्र.प्र.नि.बो. / 2025 गुना दिनांक 15.10.2025
1)म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र. 3102 / विधि / NGT(CZ) / प्रनिबो / 2025 भोपाल दिनांक 08.10.2025

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संयुक्त जांच हेतु जल संसाधन विभाग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में श्री व्ही.के.शाक्य अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अशोकनगर मो. 9753309965 अधिकृत किया गया है।

सूचनार्थ प्रेषित।

15/10/25
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग अशोकनगर

पृ क्रमांक / 2638 / तक. / 2025 अशोकनगर, दिनांक 15 / 10 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग मुंगावली की ओर निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्रीय अधिकारी मो. 9827332693 से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

15/10/25
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग अशोकनगर

Annexure-05

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी जिला अशोकनगर म.प्र.

☎ : 07543-222800 (Office) 07543-222809 (Resi.) E-mail : dmashoknagar@mp.gov.in

क. / एस.डब्ल्यू. / 2025 / 760 अशोकनगर दिनांक 27 / 10 / 2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गेल कम्पाउण्ड विजयपुर जिला गुना

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोन बेंच भोपाल के प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 136 / 2025 **(CZ)** (मैनक भटटाचार्य एवं बनाम म.प्र. राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं अन्य प्रतिवादी) में पारित आदेश दिनांक 25.09.2025 के अनुपालन बावत्।

संदर्भः— 1. आपका पत्र क्र. 690 / क्षे.कार्या. / म.प्र.प्र.नि.बो. / 2025 गुना दिनांक 15.10.2025।
2. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल का पत्र क्र. 3102 / विधि / **NGT(CZ)** / प्रनिबो / 2025 भोपाल दिनांक 08.10.2025।

.....000....

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि संयुक्त जांच हेतु कलेक्टर, जिला अशोकनगर की ओर से प्रतिनिधि के रूप में **श्री बृजविहारी लाल श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर, जिला अशोकनगर म.प्र. मो.न. 8770977643** अधिकृत किया गया है।

(आदित्य सिंह)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला अशोकनगर (म0प्र0)

पृ.क्र. / एस.डब्ल्यू. / 2025 / 761 अशोकनगर दिनांक 27 / 10 / 2025

प्रतिलिपि :—

1. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री बृजविहारी लाल श्रीवास्तव, संयुक्त कलेक्टर, जिला अशोकनगर म.प्र. की ओर निर्देशि किया जाता है कि क्षेत्रीय अधिकारी मो.न. 9827332693 से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला अशोकनगर (म0प्र0)

JOINT COMMITTEE REPORT

Original Application No. 136/2025(CZ)

Minak Bhattacharya Applicant (s)

Vs.

MP State Wetland Authority & Ors. Respondent(s)

(Attendance Sheet)

Date:- 29.10.2025

Place:- Ashoknagar

Sr. No.	Name & Designation	Department	E-Mail & Mobile No.	Signature
1.	ब्रज बिहारी लाल डिप्टी कलेक्टर	कलेक्टर अशोकनगर	brijbiharilal.s@mp.gov.in 8770977643	[signature]
2.	बी. के. [illegible] एस. डी. ओ.	जल संसाधन	8770889639	[signature]
3.	डॉ दिनेश दामड़े सहा. वैज्ञानिक अधि० MPSWA.	MPSWA	9926343831	[signature]
4.	डी. [illegible] एल. [illegible] सहा. यं. अधि.	म.प्र.प्र.नि. बोर्ड क्षेत्रीय [illegible]	982733-2693	[signature]

JOINT COMMITTEE REPORT

Original Application No. 136/2025(CZ)

Minak Bhattacharya Applicant (s)

Vs.

MP State Wetland Authority & Ors. Respondent(s)

(Attendance Sheet)

Date:- 29.10.2025

Place:- Ashoknagar

Sr. No.	Name & Designation	Department	E-Mail & Mobile No.	Signature
1.	ADV. Mainak Bhattacharyya 29.OCT.2025 Applicant	Applicant	advo07mainak.mb @gmail.com	[signature]
2.	VINOD UNNITHAN	CMO NAGAR PALIKA	cmoashoknagar @mpurban.gov.in 9893161623	[signature]
3.				
4.				

Madhya Pradesh State Wetland Authority

Environmental Planning & Coordination Organisation (EPCO)

Home

District Name: Ashoknagar

Tehsil Name: Ashoknagar

Village Name: All

Type: All

Wetland ID: All

Wetland Name: All

District Report

Clear all

Detailed Report

District Name	Wetland Name	Wetland ID	Wetland Area	Village Name	Status	Area Type	Wetland Latitude	Wetland Longtitude
Ashoknagar	रुसल्ला का तला	MP000588	3.35	Rusalla buzurg	Seemankan	Revenue	24.5878833	77.68286
Ashoknagar	vinod ka talab	MP000587	3.85	Rati kheda	Seemankan	Revenue	24.588145	77.6743867
Ashoknagar	tulsi sarovar talab	MP000492	20.785	Ashoknagar (m)	Seemankan	Revenue	24.580986628503233	77.73896267456855
Ashoknagar	talab rovsar	MP000616	8.36	Ranwasar khalsa	Seemankan	Revenue	24.6391706	77.751089
Ashoknagar	TALAB DHAMNA	MP000547	3.449	Dhamna	Seemankan	Revenue	24.4247558	77.5912697
Ashoknagar	talab	MP000550	3.07	Mohri sonera	Seemankan	Revenue	24.4338118	77.5666948
Ashoknagar	salmahi talab	MP000581	1.751	Salmai	Seemankan	Revenue	24.55795804154538	77.82492632649223
Ashoknagar	sahodari	MP000599	2.7	Sahodari	Seemankan	Revenue	24.6087803	77.8199358
Ashoknagar	ranwasar talab	MP000605	4.53	Ranwasar khalsa	Seemankan	Revenue	24.6157482	77.7573329
Ashoknagar	pachadikheda mandir	MP000494	16.81	Pachhari	Seemankan	Revenue	24.5866922	77.741669
Ashoknagar	niji bhumi	MP000608	0.366	Bansapur	Seemankan	Revenue	24.61754146326774	77.70723391756418
Ashoknagar	Nakta tala	MP004635	5	Kariya benet	Seemankan	Revenue	24.4007836	77.7201931
Ashoknagar	marop talab	MP000593	1.506	Marup	Seemankan	Revenue	24.60049713481835	77.69381797171174
Ashoknagar	madkheda talab	MP000495	85.196	Mad kheda	Seemankan	Revenue	24.592301	77.8053402

Designed and developed by MPSSDI,MPSEDC 2025

पंचनामा

हम लिखते है पंचान सभी के समक्ष आज दिनांक 29/10/2025 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रमांक 136/2025 दि० 25/09/2025 के अनुपालन मे संयुक्त जाँच समिति द्वारा तुलसी सरोवर तालाब की जाँच की गई। जाँच के दौरान संयुक्त कलेक्टर, श्री ब्रज बिहारी लाल श्रीवास्तव, जल संसाधन विभाग की ओर से श्री व्ही के शर्मा एस.डी.ओ., नगर पालिका परिषद अशोकनगर की ओर से श्री विनोद उन्नीथान सी.एम.ओ., राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की ओर से डॉ दिनेश दामड़े, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गुना की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी श्री डी. व्ही एस जाटव, एवं शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता श्री मैनाक भट्टाचार्य उपस्थित थे। तुलसी सरोवर की FTL से 50 मीटर सीमा के अन्दर वर्ष 2017 के बाद, सार्वजनिक शौचालय, 22 दुकानें, रघुवंशी धर्मशाला एवं मन्दिर आदि संरचनायें स्थल पर है। तालाब के अन्दर मूर्ति स्थापित नहीं है और ना ही तालाब में घरेलू जल मल का निस्सारण हो रहा है और ना ही सॉलिड वेस्ट का डम्प हो रहा है। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट निर्माण की स्वीकृति SLTC से 06/10/2025 में 08 एवं 04 एम.एल.डी. की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तालाब के आस-पास अस्पताल का निर्माण होना नहीं पाया गया है। वर्ष 2016-17 मे तालाब के गहरीकरण दौरान जो मिट्टी निकाली गई उससे तालाब के बीच में टापू निर्मित है। यह पंचनामा मौका स्थल पर लिखा गया एवं सभी को पढ़कर सुनाया गया जो सही है। मौका वक्त काम आवे।

29/10/25 CMO.

28/10/2025 SDO WRD

29/10/25

ROMPPCB

WRD

29.10.25

I have read the document by the people present here & the info they have given me.

Mainak Bhattacharya

कार्यालय नगर पालिका परिषद अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक / 2025 / 5876 दिनांक :- 29/10/2025

प्रति,

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
विजयपुर जिला गुना
ईमेल आईडी ropcb-guna@mp.gov.in

बिषयः— दिनांक 29.10.2025 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान चाही गई जानकारी।

उपरोक्त बिषयांतर्गत आज दिनांक 29.10.2025 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :—

1. लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के मिनिट की प्रति चाही गई, जो संलग्न है।
2. लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट की अनुमानित समयावधि 20 माह में पूर्ण होने की सम्भावना है।
3. हनुमान टापू सौंदर्यीकरण स्थल पर वर्तमान में किसी भी प्रकार का कार्य प्रचलित नहीं है।
4. रघुवंशी धर्मशाला का निर्माण वर्ष 2016, श्रीकृष्ण संस्थान का निर्माण 2017, चौपाटी निर्माण कार्य बर्ष 2021 मे हुआ जिसकी स्वीकृति पीआईसी संकल्प क्रमांक 55 दिनांक 08.01.2014 से प्राप्त हुई है, एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण बर्ष 2022 में हुआ है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद अशोकनगर

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2558796, 2554083
Email: neeleshdubey@mpurban.gov.in
Website: www.mpurban.gov.in

क्र./शा–14/स्व.भा.मि./2025/ 20926 भोपाल, दिनांक 08/10/2025

प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका/नगर परिषद,
(संलग्न सूची अनुसार)
(मध्यप्रदेश)

विषयः– स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधान एवं उपयोगित जल प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय तकनीकी समिति के कार्यवाही विवरण दिनांक 10.09.2025 के संबंध में।

विषयांतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधान एवं उपयोगित जल प्रबंधन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (SLTC) की बैठक दिनांक 10.09.2025 को की गई। जिसका कार्यवाही विवरण आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रस्तुत है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(बबीता मरकाम)
सहायक संचालक (SBM)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र., भोपाल

पृ.क्र/शा–14/स्व.भा.मि./2025/ 20927 भोपाल, दिनांक 08/10/2025

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मिशन संचालक (SBM), नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल।
3. उप मिशन संचालक (SBM), नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल।
4. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास,मध्यप्रदेश।
5. संबंधित संभागीय अधीक्षण यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।

सहायक संचालक (SBM)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म.प्र., भोपाल

नगर

6/

Directorate of Urban Administration & Development, Madhya Pradesh

क्रमांक/या.प्र./07-03/2025 ~~दिनांक~~ /11508 भोपाल 06 / 10/2025

Minutes of Meeting
State Level Technical Committee(SLTC)

The, State Level Technical Committee (SLTC) Meeting Chaired by Commissioner,UADD commenced on 10th September 2025, at UADD, Bhopal, where 32 DPRs & 27 rates of Used Water Management and 4 Rates of Legacy waste & 2 Rates of CBG of Solid Waste Management component under {Swachh Bharat Mission-2.0 (Urban) SBM-2.0 (U) were discussed and decision was accorded. Details of each case and decision taken as below:

(Agenda No 1): Approval of DPRs of Used Water Management of 32 Projects under SBM (U) 2.0

S.No	Division	District	ULB	CSAP-3B Cost (In Cr)	DPR Cost (In Cr)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
1	Bhopal	Raisen	Deori	3.32	3.63	Approved
2	Bhopal	Rajgarh	Suthaliya	2.98	3.22	Approved
3	Gwalior	Ashoknagar	Ashoknagar	34.53	31.50	Approved
4	Gwalior	Bhind	Mau	5.67	5.67	Approved
5	Gwalior	Bhind	Malanpur	4.48	4.48	Approved
6	Gwalior	Gwalior	Bilaua	3.98	3.63	Approved
7	Jabalpur	Chhindwara	Amarwara	3.97	4.49	Approved
8	Rewa	Rewa	Teonthar	4.79	4.96	Approved
9	Rewa	Satna	New ramnagar	6.33	6.60	Approved
10	Rewa	Rewa	Govindgarh	2.97	3.06	Approved
11	Rewa	Satna	Birsinghpur	4.03	6.72	Approved
12	Sagar	Chhatarpur	Satai	2.98	2.98	Approved
13	Sagar	Chhatarpur	Chandla	3.61	3.69	Approved
14	Ujjain	Shajapur	Shujalpur	21.61	21.56	Approved
15	Ujjain	Neemuch	Singoli	2.68	2.68	Approved
16	Ujjain	Neemuch	Sarwaniya Maharaj	2.43	2.43	Approved

I of 34

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 802] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 26, 2017/आश्विन 4, 1939

No. 802] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 26, 2017/ASVINA 4, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

सा.का.नि. 1203(अ).—आर्द्रभूमि, जो जलीय चक्र का अत्यावश्यक भाग हैं, उच्चतर उत्पादक पारिस्थितिकी प्रणालियां हैं जो समृद्ध जैवविविधता का आधार हैं तथा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भाग होने के कारण कई महत्वपूर्ण मनोरंजक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकलापों का समर्थन करते हुए जल भंडारण, जल शुद्धिकरण, बाढ़ अल्पीकरण, अपरदन नियंत्रण, भूजल का पुन:भरण, सूक्ष्म जलवायु का विनियमन, दृश्यभूमि के सौन्दर्य बौध को बढ़ाना जैसी पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं की व्यापक रेंज प्रदान करता है।

और, अधिकतर आर्द्रभूमि, अपवहन और भरणस्थान, प्रदूषण (घरेलू और औद्योगिक बहि:स्राव का निस्सारण, ठोस अपशिष्टों का निपटान), जल विज्ञान संबंधी परिवर्तन (जल अपनयन और अंतर्वाह तथा बहिवाह परिवर्तन) के माध्यम से भूमि सुधार और अवक्रमण के कारण गंभीर रूप से संकटस्थ स्थिति में हैं और उनके प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणामस्वरूप जैव विविधता की हानि और आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं में विघटन हुआ है;

और, संविधान के अनुच्छेद 51क के खंड (छ) में यह बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए एक व्यापक विधान है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आर्द्रभूमि और उससे जुड़े मामले भी सम्मिलित हैं।

और, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 में आर्द्रभूमि द्वारा उपलब्ध पारिस्थितिकी सेवा को मान्यता दी गई है और सभी आर्द्रभूमि के लिए एक विनियामक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जिससे उनकी ऐसी पारिस्थितिकी स्थिति को बनाए रखा जा सके, जो अंततोगत्वा उनके एकीकृत प्रबंध में सहायक हो;

और, भारत, आर्द्रभूमि संबंधी रामसर अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है, तथा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बुद्धिमतापूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।

और केन्द्रीय सरकार ने तारीख 4 दिसंबर, 2010 की सं.सा.का.नि. 951(अ) द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010, प्रकाशित किए हैं;

और आर्द्रभूमि का संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग राज्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सारवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास आयोजना तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्द्रभूमि जैवविविधता तथा पारिप्रणाली सेवाओं की पूर्ण श्रृंखला को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है;

और, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इसी प्रकार से अपने विकासात्मक कार्यक्रमों तथा आर्थिक कल्याण में आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली सेवाओं और जैव विविधता संबंधी मूल्यों पर विचार करने और इस बात को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणाली के दो मुख्य पारिस्थितिकी घटक भूमि और जल, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के विषय के रूप में सूचीबद्ध हैं;

और केन्द्रीय सरकार ने देश में आर्द्रभूमियों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को अधिक्रांत करना आवश्यक समझा है;

और, अब, केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनसाधारण की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, सा.का.नि. 385 (अ) तारीख 31 मार्च, 2016 द्वारा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 का प्रारूप प्रकाशित किया था; और यह सूचना दी गई थी कि केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको इस राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

और, केन्द्रीय सरकार को प्रारूप आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2016 के संबंध में राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों राज्यों और इसके संगठनों, व्यक्तियों और सिविल समाज संगठनों से सुझाव तथा आक्षेप प्राप्त हुए हैं;

और, ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो ऊपर उल्लिखित प्रारूप नियमों के संबंध में प्राप्त हुए हैं, पर राज्य सरकारों और राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 25 और धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंध) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से यथास्थिति राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्रधिकरण, अभिप्रेत है;

(ग) "समिति" से नियम 6 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति अभिप्रेत है;

(घ) "पारिस्थितिकीय गुण" से पारिस्थितिकी प्रणाली घटकों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं का ऐसा संकलन अभिप्रेत है जो आर्द्रभूमियों की विशिष्टता चित्रित करता है;

(ङ) "एकीकृत प्रबंधन योजना" से कोई ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसमें आर्द्रभूमि का युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियों और कार्रवाइयों का वर्णन किया गया है तथा इस योजना में स्थल प्रबंधन के उद्देश्य; उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रबंधन कार्रवाइयां, वे घटक, जो विभिन्न स्थल विशिष्टताओं को प्रभावित करते हैं, या प्रभावित कर सकते हैं; पारिस्थितिकीय स्वरूप में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए और प्रबंधन की प्रभाविता के मापन के लिए अपेक्षित मानीटरी और कार्यान्वियन प्रबंधन कार्यान्वियन के लिए संसाधन सम्मिलित हैं;

(च) "रामसर अभिसमय" से 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित आर्द्रभूमि संबंधी अभिसमय अभिप्रेत है;

(छ) "आर्द्रभूमि से कोई क्षेत्र या कच्छ पंक, पीटभूमि या जल; प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, जल जो ठहरा है या बहते, ताजे, खारे या लवणीय, जिसके अंतर्गत समुद्री जल का जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति छह मीटर से अधिक की न हो अभिप्रेत है, परंतु इसमें नदी जल मार्ग, धान के खेत, पेयजल प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से मानव निर्मित जल निकाय/जलाशय, मत्सयपालन, नमक उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं;

(ज) "आर्द्रभूमि परिसर" से दो या दो से अधिक पारिस्थितिकीय और जलीय समीपस्थ आर्द्रभूमियां तथा जिनमें उनसे जुड़े नाले/वाहिकाएं सम्मिलित हो सकती हैं, अभिप्रेत हैं;

(झ) "आर्द्रभूमियों का युक्तियुक्त उपयोग" से सतत विकास के संदर्भ में पारिप्रणाली दृष्टिकोण के माध्यम से प्राप्त पारिस्थितिकीय गुणों का रख-रखाव अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रभावित जोन" से आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि परिसर के आवाह-क्षेत्र का वह भाग जिस पर विकासात्मक कार्यकलापों के कारण पारिप्रणाली ढांचे, तथा पारिप्रणाली सेवाओं में प्रतिकूल परिवर्तन पड़ता है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं।

3. नियमों का लागू होना.—ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों को लागू होंगे, अर्थात्:-

(क) रामसर अभिसमय के अधीन 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथा अधिसूचित आर्द्रभूमियां।

परंतु ये नियम समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, राज्य वन अधिनियम तथा तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पड़ने वाली आर्द्रभूमियों को लागू नहीं होंगे।

4. आर्द्रभूमियों में क्रियाकलापों पर निर्बंधन.—(1) आर्द्रभूमि का संरक्षण और प्रबंध, आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित 'युक्तियुक्त उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा।

(2) आर्द्रभूमि के भीतर, निम्नलिखित क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) किसी भी किस्म के अतिक्रमण सहित गैर-आर्द्रभूमि उपयोग हेतु परिवर्तन;

(ii) किसी उद्योग को स्थापित करना और विद्यमान उद्योगों का विस्तार करना;

(iii) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाले निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निपटान; परिसंकटमय रसायन के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 या परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों आनुवंशिक रूप से निर्मित जीवों या कोशिकाओं का उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण संबंधी नियम, 1989 या परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत आने वाले परिसंकटमय पदार्थ; ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत आने वाला ई-अपशिष्ट;

(iv) ठोस अपशिष्ट का पाटन;

उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों और अन्य मानव बस्तियों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्रावों का निस्सारण;

(v) किसी स्थायी प्रकृति का किसी निर्माण सिवाय नाव घाटों के, पचास मीटर के भीतर इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से पिछले दस वर्षों में प्रेक्षित बाढ़ के औसतन उच्च स्तर से गणना की जाएगी; और

(vi) अवैध शिकार।

परंतु केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी कार्यकलाप के विलोपन के लिए राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार कर सकेगी।

5. आर्द्रभूमि प्राधिकरण.—(1) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य में राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) राज्य सरकार के पर्यावरण/वन विभाग का भारसाधक मंत्री या आर्द्रभूमि के विषय से संबंधित कार्य कर रहे भारसाधक मंत्री - अध्यक्ष;

(ii) राज्य का मुख्य सचिव या समतुल्य अपर मुख्य सचिव – उपाध्यक्ष;

(iii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(iv) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(v) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vi) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vii) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(viii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(ix) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(x) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(xi) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(xii) निदेशक, राज्य सुदूर संवेदी केन्द्र – पदेन सदस्य;

(xiii) मुख्य वन्यजीव वार्डन – पदेन सदस्य;

(xiv) सदस्य सचिव, राज्य जैवविविधता बोर्ड – पदेन सदस्य;

(xv) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड – पदेन सदस्य;

(xvi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का अपर प्रधान मुख्य संरक्षक – पदेन सदस्य;

(xvii) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में से प्रत्येक का एक विशेषज्ञ जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और

(xviii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमियों से संबंधित विभाग में अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।

(2) केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक राज्य क्षेत्र के लिए संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(i) संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक या मुख्य सचिव – अध्यक्ष;

(ii) पर्यावरण विभाग का भारसाधक सचिव – उपाध्यक्ष;

(iii) वन विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(iv) शहरी विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(v) ग्रामीण विकास विभाग का भारसाधक सचिव – पदेन सदस्य;

(vi) जल संसाधन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(vii) मत्स्यकी विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(ix) पर्यटन विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(x) राजस्व विभाग का भारसाधक सचिव - पदेन सदस्य;

(xi) निदेशक, सुदूर संवेदी केन्द्र - पदेन सदस्य;

(xii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समिति - पदेन सदस्य;

(xiii) सदस्य सचिव, संघ राज्य क्षेत्र जैव-विविधता बोर्ड - पदेन सदस्य;

(xiv) मुख्य वन्यजीव वार्डन - पदेन सदस्य;

(xv) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - पदेन सदस्य;

(xvi) आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी, जल-विज्ञान, मत्स्यकी, भू-दृश्य योजना और सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों से एक-एक विशेषज्ञ जिसे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए; और

(xvii) पर्यावरण/वन विभाग या आर्द्रभूमि हथालन विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक - सदस्य सचिव।

(3) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, तीन से अधिक, यदि अपेक्षित हों, अन्य सदस्यों, का सह-चयन, कर सकेंगे।

(4) राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण या संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरण, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सभी आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना;

(ख) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचित की जाने वाली आर्द्रभूमियों की सूची तैयार करना; अन्य सुसंगत राज्य अधिनियमों के अधीन तैयार/अधिसूचित आर्द्रभूमियों की किसी विद्यमान सूची को संज्ञान में लेना;

(ग) इन नियमों के अधीन विनियमन हेतु उनके संक्षिप्त दस्तावेज़ों के आधार पर अभिज्ञात आर्द्रभूमियों की संस्तुति करना;

(घ) इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर सभी आर्द्रभूमियों की व्यापक डिज़ीटल सूची तैयार करना और उक्त प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा विकसित की जाने वाले डेडीकेटिड बेब पोर्टल पर इसे अपलोड करना; और इस सूची को प्रत्येक दस वर्ष में अद्यतन किया जाएगा;

(ङ) अधिसूचित आर्द्रभूमियों के भीतर विनियमित और अनुज्ञात किए जाने वाले कार्यकलापों और उनके प्रभाव क्षेत्र की विस्तृत सूची विकसित करना;

(च) विनिर्दिष्ट आर्द्रभूमियों के लिए प्रतिषिद्ध कार्यकलापों की सूची में बढ़ोतरी, यदि कोई हो, की सिफारिश करना;

(छ) आर्द्रभूमियों की अधिकारिता के भीतर उनके संरक्षण और युक्तियुक्त उपयोग के लिए कार्यनीतियां पारिभाषित करना; यदि पारिस्थितिक प्रणाली के कार्यकलापों (जल भण्डारण, भू-जल संभरण, बाढ़-प्रतिरोधक जैसे) और मूल्य (मनोरंजन और सांस्कृतिक जैसे) का अनुरक्षण किया जाता है या उसमें अभिवृद्धि की जाती है; तो इन पारिस्थितिक प्रणाली को प्रबंधित करने के लिए एक सिद्धांत, जो संरक्षण के साथ संगत वहनीय उपयोगों को समावेशित करता है (जैसे जीवन-निर्वाह स्तर हेतु मछली पकड़ना या जलीय वनस्पति की पैदावार करना) का विवेकपूर्ण उपयोग करना;

(ज) प्रत्येक अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना का पुनर्विलोकन करना (केन्द्रीय सरकार के समन्वयन से सीमा-पारीय आर्द्रभूमियों सहित), और इन योजनाओं के भीतर आर्द्रभूमियों, जो पारिस्थितिकीय स्वरूप के अनुकूल हैं, के पारम्परिक उपयोगों को जारी रखना और उसमें समर्थन देने पर विचार करना;

(झ) उन मामलों में, जहां अधिसूचित आर्द्रभूमियों या आर्द्रभूमि परिसरों की सीमा के भीतर भूमि क्षेत्र का निजी भू-धारण अधिकार है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्यकलापों के माध्यम से पारिस्थितिकीय स्वरूप को बनाये रखने के लिए कार्यतंत्रों हेतु सिफारिश करना;

(ञ) विद्यमान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ प्रबंध योजना के कार्यान्वयन के अभिसरण के लिए कार्यतंत्रों की पहचान करना;

(ट) इन नियमों और अन्य सुसंगत अधिनियमों, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और अर्द्ध-वार्षिक आधार पर (प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष के जून और दिसम्बर पर) एक सूचना तंत्र के माध्यम से ऐसी अधिसूचित आर्द्रभूमियों की स्थिति पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या केन्द्रीय सरकार को सूचना देना;

(ठ) विभिन्न संगत विभागों और अन्य संबंधित अभिकरणों के माध्यम से युक्तियुक्त उपयोग के सिद्धांत के आधार पर एकीकृत प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन का समन्वयन करना;

(ड) राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के भीतर सभी आर्द्रभूमि विनिर्दिष्ट प्राधिकरणों के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करना;

(ढ) संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों को आर्द्रभूमियों के संरक्षण और सतत प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश जारी करना;

(ण) आर्द्रभूमियों के मूल्यों और क्रियाकलापों के संबंध में पणधारियों और स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु उपाय करना; और

(त) स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य मामले पर सलाह देना।

(5) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का संबंधित विभाग, प्राधिकरण के लिए नोडल विभाग और सचिवालय के रूप में सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और कार्य करेगा।

(6) प्राधिकरण, इन नियमों के प्रकाशन के नब्बे दिन के भीतर :

(क) संक्षिप्त दस्तावेज़ों और प्रबंध योजनाओं का पुनर्विलोकन करने तथा आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी तकनीकी विषय पर सलाह देने के लिए एक तकनीकी समिति का, और

(ख) जनता द्वारा प्राधिकरण को की गईं शिकायतों की सुनवाई करने और उन्हें अग्रेषित करने के लिए एक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने हेतु चार सदस्यों से मिलकर बनी एक शिकायत समिति का गठन करेगा।

(7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट समितियां अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेंगी ।

(8) प्राधिकरण की वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक होगी।

(9) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण के गैर-अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष की अवधि का होगा।

6. राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन.—(1) केन्द्रीय सरकार, एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – अध्यक्ष;

(ii) आर्द्रभूमि संबंधी कार्य देख रहे विशेष सचिव या अपर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – उपाध्यक्ष;

(iii) अपर महानिदेशक, वन्यजीव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(iv) आर्द्रभूमियों संबंधी कार्य देख रहे सलाहकार या संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – पदेन सदस्य;

(v) संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(vi) संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(vii) संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(viii) संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार – पदेन सदस्य;

(ix) संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;

(x) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार - पदेन सदस्य;

(xi) अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - पदेन सदस्य;

(xii) निदेशक, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;

(xiii) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;

(xiv) निदेशक, अंतरिक्ष अनुप्रयुक्ति केंद्र, अहमदाबाद या वैज्ञानिक एफ - पदेन सदस्य;

(xv) सदस्य केन्द्रीय जल आयोग - पदेन सदस्य;

(xvi) सलाहकार, नीति आयोग - पदेन सदस्य;

(xvii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के तीन प्रतिनिधि, चक्रानुक्रम आधार पर, प्रत्येक दो वर्ष के कार्यकाल के लिए;

(xviii) आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी, जल विज्ञान, मत्स्यकी क्षेत्र, भू-दृश्य योजना और सामाजिक अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में से प्रत्येक का एक-एक विशेषज्ञ; और

(xix) आर्द्रभूमि से संबंधित कार्य करने वाले निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय - सदस्य सचिव।

(2) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति, यदि अपेक्षित हो, तीन से अनधिक अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी।

(3) राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:—

(क) आर्द्रभूमियों के संरक्षण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए समुचित नीतियों और कार्रवाई सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में केंद्रीय सरकार को सलाह देना;

(ख) आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंधन के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के सिद्धान्त पर आधारित मानदंड और मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करना;

(ग) प्राधिकरण द्वारा इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना;

(घ) नियम 4 के उप नियम (2) में यथानिर्दिष्ट प्रतिषेधित क्रियाकलापों के लिए राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्तावों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देना;

(ड.) रामसर अभिसमय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को अभिहित किये जाने की सिफारिश करना;

(च) अधिसूचित किये जाने के लिए सीमापार आर्द्रभूमियों की सिफारिश करना;

(छ) रामसर स्थलों और सीमापार आर्द्रभूमियों के एकीकृत प्रबंध की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;

(ज) आर्द्रभूमियों से संबंधित मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के समन्वय के संबंध में सलाह देना; और

(झ) किसी अन्य मामले पर स्वप्रेरणा से सलाह देना या केंद्रीय सरकार को निर्दिष्ट करना।

(4) समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को कार्यकाल तीन वर्ष से अनधिक का नहीं होगा।

(5) समिति प्रत्येक छह मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

7. **राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियों और कार्यों का प्रत्यायोजन.—**(1) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का सम्बद्ध विभाग इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचित किये जाने हेतु अभिज्ञात प्रत्येक आर्द्रभूमि के लिए एक संक्षिप्त दस्तावेज तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित का उपबंध होगा:—

(क) निर्देशांकों सहित यथार्थ डिजिटल मानचित्रों द्वारा समर्थित और जमीनी सत्यापन द्वारा विधिमान्य आर्द्रभूमि का सीमांकन;

(ख) इसके प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन और डिजिटल मानचित्र में संकेतित उसका भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि क्षेत्र;

(ग) पारिस्थितिक-स्वरूप का विवरण;

(घ) पूर्वत: विद्यमान अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का लेखा;

(ड.) आर्द्रभूमि तथा इसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्त स्थल-विशिष्ट क्रियाकलाप की सूची;

(च) आर्द्रभूमि और उसके प्रभाव क्षेत्र के भीतर विनियमित किये जाने वाले स्थल-विशिष्ट क्रियाकलापों की सूची; और

(छ) विनियमों के प्रवर्तन की रीति;

(2) प्राधिकरण, संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, आर्द्रभूमियों को अधिसूचित किये जाने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन को सिफारिश करेगा।

(3) राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन संबंधित और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा की गयी सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर राजपत्र में आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करेगी।

(4) (क) केन्द्रीय सरकार सीमा-पार आर्द्रभूमियों के मामले में, संक्षिप्त दस्तावेज, जिसमें उप-नियम (1) में यथा सूचीबद्ध सूचना दी गई हो, को तैयार करने में संबद्ध राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी।

(ख) संक्षिप्त दस्तावेज के आधार पर, राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति आर्द्रभूमि को अधिसूचित किये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार संबद्ध और प्रभावित व्यक्तियों से प्राप्त आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् समिति द्वारा की गई सिफारिश की तारीख से दो सौ चालीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर आर्द्रभूमियों को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

(5) (क) केंद्रीय सरकार आर्द्रभूमियों से संबंधित सूचना के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का सृजन करेगी।

(ख) केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी अधिकारिता में की आर्द्रभूमियों के विषय में, सभी संबंधित सूचना अपलोड करेगी।

[फा. सं. जे-22012/78/2003-सीएस(डब्ल्यू) पार्ट.V]

डॉ. ए. दुरैसामी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2017

G.S.R. 1203(E).—Whereas the wetlands, vital parts of the hydrological cycle, are highly productive ecosystems which support rich biodiversity and provide a wide range of ecosystem services such as water storage, water purification, flood mitigation, erosion control, aquifer recharge, microclimate regulation, aesthetic enhancement of landscapes while simultaneously supporting many significant recreational, social and cultural activities, being part of our rich cultural heritage;

And whereas many wetlands are threatened by reclamation and degradation through drainage and landfill, pollution (discharge of domestic and industrial effluents, disposal of solid wastes), hydrological alteration (water withdrawal and changes in inflow and outflow), over-exploitation of their natural resources resulting in loss of biodiversity and disruption in ecosystem services provided by wetlands;

And whereas clause (g) of article 51A of the Constitution stipulates that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures;

And whereas the Environment (Protection) Act, 1986 is a comprehensive legislation to provide protection and improvement of the environment, including *inter-alia*, wetlands, and for matters connected therewith;

And whereas the National Environment Policy, 2006 recognises the ecosystem services provided by wetlands and emphasizes the need to set up a regulatory mechanism for all wetlands so as to maintain their ecological character, and ultimately support their integrated management;

And whereas India is a signatory to the Ramsar Convention on Wetlands and is committed to conservation and wise use of all wetlands within its territory;

And whereas the Central Government has published the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, vide number G.S.R. 951(E), dated the 4th December, 2010;

And whereas conservation and wise use of wetlands can provide substantial direct and indirect economic benefits to state and national economy, and thereby the Central Government stands committed to mainstreaming full range of wetland biodiversity and ecosystem services in development planning and decision making for various sectors;

And whereas the State Governments and Union Territory Administrations need to take into account wetland ecosystem services and biodiversity values likewise within their developmental programming and economic well-being, also taking into cognizance that land and water, two major ecological constituents of wetland ecosystems, are enlisted as State subjects as per the Constitution;

And whereas the Central Government considered it necessary to supersede the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010 for effective conservation and management of wetlands in the country;

And whereas the Central Government had, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, published the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016, vide number G.S.R. 385 (E) dated 31st March, 2016 for information of the public likely to be affected thereby; and notice was given that the said draft rules would be taken into consideration by the Central Government after expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette notification is made available to the public;

And whereas the Central Government has received the suggestions and objections from the State Governments, Union Territories and its organisations, individuals and civil society organisations on the draft Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2016;

And whereas the suggestions and objections received in response to the above mentioned draft rules have been duly considered by the Central Government in consultation with State Governments and Union Territory Administrations.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 25, read with sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 and section 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 and in supersession of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules for conservation and management of wetlands, namely:—

1. Short title and commencement.—

(1) These rules may be called the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.

(2) These shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986;

(b) "Authority" means the State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority, as the case may be;

(c) "Committee" means the National Wetlands Committee referred to in rule 6;

(d) "ecological character" means the sum of ecosystem components, processes and services that characterise the wetlands;

(e) "integrated management plan" means a document which describes strategies and actions for achieving wise use of the wetland and the plan shall include objectives of site management; management actions required to achieve the objectives; factors that affect, or may affect, the various site features; monitoring requirements for detecting changes in ecological character and for measuring the effectiveness of management; and resources for management implementation;

(f) "Ramsar Convention" means the Convention on Wetlands signed at Ramsar, Iran in 1971;

(g) "wetland" means an area of marsh, fen, peatland or water; whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed six meters, but does not include river channels, paddy fields, human-made water bodies/tanks specifically constructed for drinking water purposes and structures specifically constructed for aquaculture, salt production, recreation and irrigation purposes;

(h) "wetlands complexes" means two or more ecologically and hydrologically contiguous wetlands and may include their connecting channels/ducts;

(i) "wise use of wetlands" means maintenance of their ecological character, achieved through implementation of ecosystem approach within the context of sustainable development;

(j) "zone of influence" means that part of the catchment area of the wetland or wetland complex, developmental activities in which induce adverse changes in ecosystem structure, and ecosystem services.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined, but defined in the Act, shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. **Applicability of rules.—**These rules shall apply to the following wetlands or wetlands complexes, namely:—

(a) wetlands categorised as 'wetlands of international importance' under the Ramsar Convention;

(b) wetlands as notified by the Central Government, State Government and Union Territory Administration:

Provided that these rules shall not apply to the wetlands falling in areas covered under the Indian Forest Act, 1927, the Wild Life (Protection) Act, 1972, the Forest (Conservation) Act, 1980, the State Forest Acts, and the Coastal Regulation Zone Notification, 2011 as amended from time to time.

4. **Restrictions of activities in wetlands.—**(1) The wetlands shall be conserved and managed in accordance with the principle of 'wise use' as determined by the Wetlands Authority.

(2) The following activities shall be prohibited within the wetlands, namely,-

(i) conversion for non-wetland uses including encroachment of any kind;

(ii) setting up of any industry and expansion of existing industries;

(iii) manufacture or handling or storage or disposal of construction and demolition waste covered under the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016; hazardous substances covered under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989 or the Rules for Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms Genetically engineered organisms or cells, 1989 or the Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008; electronic waste covered under the E-Waste (Management) Rules, 2016;

(iv) solid waste dumping;

(v) discharge of untreated wastes and effluents from industries, cities, towns, villages and other human settlements;

(vi) any construction of a permanent nature except for boat jetties within fifty metres from the mean high flood level observed in the past ten years calculated from the date of commencement of these rules; and,

(vii) poaching.

Provided that the Central Government may consider proposals from the State Government or Union Territory Administration for omitting any of the activities on the recommendation of the Authority.

5. **Wetlands Authorities.—**(1) The Central Government hereby constitutes the State Wetlands Authority in each State with the following members, namely:—

(i) Minister In-charge of the Department of Environment/Forests of the State Government or Minister In-charge of the Department handling wetlands - Chairperson;

(ii) Chief Secretary of the State or Additional Chief Secretary equivalent - Vice Chairperson;

(iii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Member *ex-officio*;

(iv) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;

(v) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;

(vi) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;

(vii) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;

(viii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;

(ix) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;

(x) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;

(xi) Secretary in-charge of the Department of Revenue - Member *ex-officio*;

(xii) Director, State Remote Sensing Centre - Member *ex-officio*;

(xiii) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;

(xiv) Member Secretary, State Biodiversity Board - Member *ex-officio*;

(xv) Member Secretary, State Pollution Control Board - Member *ex-officio*;

(xvi) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;

(xvii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the State Government; and

(xviii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.

(2) The Central Government hereby constitutes the Union Territory Wetlands Authority for each Union Territory with the following members, namely:—

(i) Administrator or Chief Secretary of the Union Territory - Chairperson;

(ii) Secretary in-charge of the Department of Environment - Vice Chairperson;

(iii) Secretary in-charge of the Department of Forests - Member *ex-officio*;

(iv) Secretary in-charge of the Department of Urban Development - Member *ex-officio*;

(v) Secretary in-charge of the Department of Rural Development - Member *ex-officio*;

(vi) Secretary in-charge of the Department of Water Resources - Member *ex-officio*;

(vii) Secretary in-charge of the Department of Fisheries - Member *ex-officio*;

(viii) Secretary in-charge of the Department of Irrigation and Flood Control - Member *ex-officio*;

(ix) Secretary in-charge of the Department of Tourism - Member *ex-officio*;

(x) Secretary in-charge of the Departments of Revenue - Member *ex-officio*;

(xi) Director, Remote Sensing Centre - Member *ex-officio;*

(xii) Member Secretary, Union Territory Pollution Control Committee - Member *ex-officio*;

(xiii) Member Secretary, Biodiversity Board of the UT - Member *ex-officio*;

(xiv) Chief Wildlife Warden - Member *ex-officio*;

(xv) Additional Principal Chief Conservator of Forests of the Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change- Member *ex-officio*;

(xvi) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning and socio-economics to be nominated by the Union Territory Administration; and

(xvii) Additional Secretary/Joint Secretary/Director in the Department of Environment/Forests or Department handling wetlands - Member Secretary.

(3) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.

(4) The State Wetlands Authority or Union Territory Wetlands Authority shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:-

(a) prepare a list of all wetlands of the State or Union Territory within three months from the date of publication of these rules;

(b) prepare a list of wetlands to be notified, within six months from the date of publication of these rules; taking into cognizance any existing list of wetlands prepared/notified under other relevant State Acts;

(c) recommend identified wetlands, based on their Brief Documents, for regulation under these rules;

(d) prepare a comprehensive digital inventory of all wetlands within a period of one year from the date of publication of these rules and upload the same on a dedicated web portal to be developed by the Central Government for the said purpose; the inventory to be updated every ten years;

(e) develop a comprehensive list of activities to be regulated and permitted within the notified wetlands and their zone of influence;

(f) recommend additions, if any, to the list of prohibited activities for specific wetlands;

(g) define strategies for conservation and wise use of wetlands within their jurisdiction; wise use being a principle for managing these ecosystems which incorporates sustainable uses (such as capture fisheries at subsistence level or harvest of aquatic plants) as being compatible with conservation, if ecosystem functions (such as water storage, groundwater recharge, flood buffering) and values (such as recreation and cultural) are maintained or enhanced;

(h) review integrated management plan for each of the notified wetlands (including trans-boundary wetlands in coordination with Central Government), and within these plans consider continuation and support to traditional uses of wetlands which are harmonized with ecological character;

(i) in cases wherein lands within boundary of notified wetlands or wetlands complex have private tenancy rights, recommend mechanisms for maintenance of ecological character through promotional activities;

(j) identify mechanisms for convergence of implementation of the management plan with the existing State/Union Territory level development plans and programmes;

(k) ensure enforcement of these rules and other relevant Acts, rules and regulations and on half-yearly basis (June and December of each calendar year) inform the concerned State Government or Union Territory Administration or Central Government on the status of such notified wetlands through a reporting mechanism;

(l) coordinate implementation of integrated management plans based on wise use principle through various line departments and other concerned agencies;

(m) function as nodal authority for all wetland specific authorities within the State or Union Territory Administration;

(n) issue necessary directions for conservation and sustainable management of wetlands to the respective implementing agencies;

(o) undertake measures for enhancing awareness within stakeholders and local communities on values and functions of wetlands; and

(p) Advise on any other matter *suo-motu*, or as referred by the State Government/Union Territory Administration.

(5) The concerned Department of the State Government or Union Territory shall provide all necessary support and act as nodal Department and Secretariat to the Authority.

(6) The Authority shall, within ninety days of publication of these rules, shall constitute,—

(a) a technical committee to review brief documents, management plans and advise on any technical matter referred by the Wetland Authority; and

(b) a grievance committee consisting of four members to provide a mechanism for hearing and forwarding the grievances raised by public to the Authority;

(7) The Committees referred to in sub-rule (6) shall meet at least once in every quarter to perform their functions.

(8) The Authority shall meet at least thrice in a year.

(9) The term of non-official members of the Authority nominated by State Government or Union Territory Administration, shall be for a period not exceeding three years.

6. Constitution of National Wetlands Committee.—(1) The Central Government, hereby constitutes the National Wetlands Committee with the following members, namely:—

(i) Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Chairperson;

(ii) Special Secretary or Additional Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India-Vice Chairperson;

(iii) Additional Director General, Wildlife, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India - Member *ex-officio*;

(iv) Adviser or Joint Secretary dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member *ex-officio*;

(v) Joint Secretary, Ministry of Tourism, Government of India- Member *ex-officio*;

(vi) Joint Secretary , Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Government of India- Member *ex-officio*;

(vii) Joint Secretary, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India- Member *ex-officio*;

(viii) Joint Secretary, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India- Member *ex-officio*;

(ix) Joint Secretary, Ministry of Urban Development, Government of India- Member *ex-officio*;

(x) Joint Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India- Member *ex-officio*;

(xi) The Chairman, Central Pollution Control Board - Member *ex-officio*;

(xii) Director, Zoological Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;

(xiii) Director, Botanical Survey of India or Scientist F- Member *ex-officio*;

(xiv) Director, Space Application Centre, Ahmedabad or Scientist F- Member *ex-officio*;

(xv) Member, Central Water Commission - Member *ex-officio*;

(xvi) Adviser, Niti Aayog - Member *ex-officio*;

(xvii) Three representatives of State Government or Union Territory Administration on a rotational basis for a tenure of two years each;

(xviii) One expert each in the fields of wetland ecology, hydrology, fisheries, landscape planning & socio-economics; and

(xix) Director/Additional Director/Joint Director dealing with wetlands, Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member Secretary.

(2) The National Wetlands Committee may co-opt other members, not exceeding three in number, if required.

(3) The National Wetlands Committee shall perform the following functions, namely:-

(a) advise the Central Government on appropriate policies and action programmes for conservation and wise use of wetlands;

(b) evolve norms and guidelines for integrated management of wetlands based on wise use principle;

(c) monitor implementation of these rules by the Authority;

(d) advise the Central Government on proposals received from State Governments or Union Territory Administrations for omission of the prohibited activities as referred in sub-rule (2) of rule 4;

(e) recommend designation of wetlands of international importance under Ramsar Convention;

(f) recommend trans-boundary wetlands for notification;

(g) review progress of integrated management of Ramsar sites and transboundary wetlands;

(h) advise on collaboration with international agencies on issues related to wetlands; and

(i) advise on any other matter *suo-moto*, or as referred by the Central Government.

(4) The tenure of non-official members of the Committee shall not exceed three years.

(5) The Committee shall meet at least once in every six months.

7. **Delegation of powers and functions to the State Governments and Union Territory Administrations**.—(1) The concerned Department of the State Government or Union Territory Administration shall, within a period of one year from the date of publication of these rules, prepare a Brief Document for each of the wetland identified for notification, providing:—

(a) demarcation of wetland boundary supported by accurate digital maps with coordinates and validated by ground truthing;

(b) demarcation of its zone of influence and land use and land cover thereof indicated in a digital map;

(c) ecological character description;

(d) account of pre-existing rights and privileges;

(e) list of site-specific activities to be permitted within the wetland and its zone of influence;

(f) list of site specific activities to be regulated within the wetland and its zone of influence; and

(g) modalities for enforcement of regulation;

(2) Based on the Brief Document, the Authority shall make recommendations to the State Government or Union Territory Administration for notifying the wetlands.

(3) The State Government or Union Territory Administration shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Authority.

(4) (a) In case of trans-boundary wetlands, the Central Government shall coordinate with concerned State Governments and Union Territory Administrations to prepare the Brief Document containing information as listed in sub-rule (1).

(b) Based on the Brief Document, the National Wetlands Committee shall make recommendations to the Central Government for notification of the wetland.

(c) The Central Government shall, after considering the objections, if any, from the concerned and affected persons, notify the wetlands in the Official Gazette, within a period not exceeding 240 days from the date of recommendation by the Committee.

(5) (a) The Central Government shall create a dedicated web portal for information relating to wetlands.

(b) The Central Government, State Government and Union Territory Administration shall upload all relevant information and documents pertaining to wetlands in their jurisdiction.

[F. No. J-22012/78/2003-CS (W) Pt. V]

Dr. A. DURAISAMY, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.09.26 22:25:31 +05'30'

F. No. W-4/4/2022-WTL
Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(Wetlands Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, New Delhi -110003

Dated 8th March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Protection of Wetlands as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017

The Hon'ble Supreme Court vide Order dated 4th October, 2017 in W.P. (C) No. 230 of 2001 has inter-alia, directed that, *"We make it clear and reiterate that in terms of our order dated 8th February, 2017, 2,01,503 wetlands that have been mapped by the Union of India should continue to remain protected on the same principles as were formulated in Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2010".*

2. The same has been communicated by this Ministry to all the States and UTs in November, 2017. Hon'ble NGT has also reiterated the same in various recent cases.

3. In view of above, it is once again clarified/reiterated that the 2,01,503 wetlands (>2.25 ha) as per the National Wetland Inventory and Assessment (NWIA), 2011 should be protected as per Rule 4 of the Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017. This protection is irrespective of the applicability of/notification as per the said Rules.

Ramesh
(Dr. M. Ramesh)
Scientist 'E'
Tel.: 011-20819249
Email: ramesh.motipalli@nic.in

To
The Member Secretaries of State and UT Wetlands Authorities

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग अशोकनगर

E-mail cewrd_ashoknagar@yahoo.com

पत्र क्रमांक / 1260 / तक. / 2024 अशोकनगर, दिनांक 24 / 06 / 2024

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका परिषद अशोकनगर

विषय :- तुलसी सरोवर तालाब अशोकनगर में प्रतिमा स्थापना करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. / तकनीकि / 2024 / 1940 दिनांक 17.05.2024

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि तुलसी सरोवर तालाब का निर्माण सन् 1972 से 1976 के मध्य हुआ था। इस तालाब का मुख्य उद्देश्य इसकी नहर के कमाण्ड क्षेत्र में स्थित ग्रामों की 202 हेक्टेयर भूमि का सिंचन किया जाना था। वेटलेण्ड नियम 2017 की धारा 2 के "नियम–छ" के अनुसार इसे आर्द्र भूमि में सम्मलित नहीं किया जाना चाहिए।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग अशोकनगर

अशोकनगर, दिनांक 24 / 06 / 2024

पृ. क्रमांक / 1261 / तक. / 2024

प्रतिलिपि :-

1. परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग अशोकनगर

(12)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग अशोकनगर (म.प्र.)

पत्र क्र.683/ कार्य/तुसली सरोवर/2016 अशोकनगर दिनांक 8/3/16

प्रति,

अधीक्षण यंत्री
जल संसाधन मंडल
गुना (म.प्र.)

बिषयः– तुलसी सरोवर तालाब को नगर पालिका अशोकनगर के सुपुर्द करने बावत् ।
संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 273/कार्य/34–व्ही/आई/पी/2015 गुना दिनांक 3.2.16

——00——

उपरोक्त बिषयांकित एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि तुलसी सरोवर तालाब लघु सिंचाई योजना को नगर पालिका परिषद अशोकनगर को हस्तांतरित का प्रस्ताव जल उपयोगिता समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, विवरण प्रतिवेदन एवं इण्डेक्स मैप सहित तैयार कर आपकी ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार एक फाइल

(एस.आर.भलावी)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,
अशोकनगर (म.प्र.)

पत्र क्र.684/ कार्य/तुसली सरोवर/2016 अशोकनगर दिनांक 8/3/16

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।

(एस.आर.भलावी)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग,
अशोकनगर (म.प्र.)

LiFE
Lifestyle for Environment

म. प्र.राज्य वेटलैंड प्राधिकरण
(म. प्र. शासन, पर्यावरण विभाग)
पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
भोपाल - 462016
Website- www.swa.mp.gov.in
फोन : (0755)2464318, 2466970
पत्र क्र. 1963 /MPSWA/EPCO/2025
दिनांक : 25-08-2025

प्रति,

कलेक्टर
जिला- अशोक नगर
मध्य प्रदेश।

विषयः तुलसी सरोवर, तालाब, अशोक नगर में प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में।
सन्दर्भः राज्य वेटलैंड प्राधिकरण पत्र दिनांक 19.05.2025.एवं 23.07.2024

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। तुलसी सरोवर तालाब, अशोक नगर में प्रतिमा स्थापित करने एवं निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में निरंतर प्राप्त हो रहे शिकायती पत्रों के संबंध में वेटलैण्ड नियम, 2017 की धारा 4 (2) के पालन के दृष्टिगत तथ्यात्मक यस्तुस्थिति प्रतिवेदन म.प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया है, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन प्रदेश समस्त जिलों में वेटलैंड्स का भौतिक सत्यापन एवं उनके सीमांकन का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी Wetland Dashboard https://geoportal.mp.gov.in/epco/login.aspx पर उपलब्ध है। Wetland Dashboard पर उपलब्ध जानकारी अनुसार तुलसी सरोवर तालाब, अशोक नगर Wetland ID MP000492 एवं सीमांकित क्षेत्रफल 20.785 हेक्टेयर है, जो तहसील एवं जिला अशोक नगर के अंतर्गत है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण WP (Civil) No.230/2001 में जारी आदेश के पालन में भारत सरकार, MoEF&CC द्वारा द्वारा दिनांक 08.03.2022 को जारी Office Memorandum अनुसार वेटलैण्ड नियम, 2017 की धारा 4 (2) में उल्लेखित प्रतिबंध उन सभी वेटलैण्ड्स (2.25 ha.से अधिक क्षेत्रफल) पर लागू होंगे, जो ISRO द्वारा तैयार वेटलैंड इन्वेंटरी की सूची में शामिल है। वेटलैंड इन्वेंटरी की सूची में तुलसी सरोवर, तालाब भी शामिल है।

उपरोक्त के दृष्टिगत कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर आवेदक द्वारा की गयी शिकायतों एवं संदर्भित पत्रों में उल्लेख अनुसार प्रकरण के संबंध में तथ्यात्मक यस्तुस्थिति प्रतिवेदन म.प्र.राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण, एप्को को अविलम्ब उपलब्ध कराने का करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव
राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

पृ. क्र.1964 ISWA/2025 दिनांक : 25-08-2025
प्रतिलिपिः-
मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् जिला अशोक नगर, मध्यप्रदेश।

सदस्य सचिव
राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण

17

14

न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक/क्यू/रीडर/कले./2025/ 1281 अशोकनगर, दिनांक : 08/09/2025

//आदेश//

आवेदक श्री नितिन सिंघवी एमआईजी-59, सेक्टर-1, शंकर नगर, रायपुर द्वारा प्रस्तुत पत्र क्रमांक एलटीजी/50ए/2024 दिनांक 28.06.2024 से तुलसी सरोवर अशोकनगर में प्रतिमा स्थापना हेतु प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त पत्र में वर्णित बिंदुओं पर बिंदुवार संयुक्त जांच प्रतिवेदन हेतु निम्नानुसार संयुक्त दल गठित किया जाता है ।

क्रमांक	नाम	विभाग
01	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अनुभाग अशोकनगर
02	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग अशोकनगर
03	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	नगरपालिका परिषद अशोकनगर

उपरोक्त संयुक्त दल स्थल निरीक्षण कर बिंदुवार प्रतिवेदन सात दिवस में संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/क्यू/रीडर/कले./2025/ 1281(1-3) अशोकनगर, दिनांक : 08/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अशोकनगर की ओर पालनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग अशोकनगर की ओर पालनार्थ।
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद अशोकनगर की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर, जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक/क्यू/रीडर/कले./2025/ 1282 अशोकनगर, दिनांक 08/09/2025

प्रति,

1. अनुविभागीय अधिकारी,
   अनुभाग अशोकनगर
   जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. कार्यपालन यंत्री,
   जल संसाधन विभाग अशोकनगर
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
   नगरपालिका अशोकनगर

विषय :- तुलसी सरोवर, तालाब, अशोकनगर में प्रतिमा स्थापित करने के संबंध में।

संदर्भ :- 1.म.प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 1963/MPSWA/EPCO/2025 दिनांक 25/08/2025

2. कार्यपालन संचालक, एप्को एवं सदस्य सचिव, राज्य वेटलेण्ड प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 1201/EPCO/2024 दिनांक 03/05/2024

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि तुलसी सरोवर तालाब, अशोक नगर में प्रतिमा स्थापित करने एवं निर्माण कार्य किए जाने के संबंध में निरंतर प्राप्त हो रहे शिकायती पत्रों के संबंध में वेटलैण्ड नियम, 2017 की धारा 4(2) के पालन के दृष्टिगत तथ्यात्मक वस्तुस्थिति प्रतिवेदन म.प्र. राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण को संदर्भित पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया है, जो आज दिनांक तक अपेक्षित है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन में प्रदेश के समस्त जिलों में वेटलैंड्स का भौतिक सत्यापन एवं उनके सीमांकन का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया गया है, जिसकी जानकारी Wetland Dashboard https://geoportal.mp.gov.in/epco/login.aspx पर उपलब्ध है। Wetland Dashboard पर उपलब्ध जानकारी अनुसार तुलसी सरोवर तालाब, अशोक नगर Wetland ID MP000492 एवं सीमांकित क्षेत्रफल 20.785 हैक्टेयर है, जो तहसील एवं जिला अशोक नगर के अंतर्गत है।

वेटलेण्ड नियम 2017 की धारा 04 में उल्लेखित प्रावधानों (प्रतिबंधित गतिविधियां) को तुलसी सरोवर में लागू करने के साथ ही जिले के अन्य तालाब/बैटलैंड/झील (2.25 हे. से अधिक क्षेत्रफल) में भी पालन करने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति पत्र के संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार जांच प्रतिवेदन सात दिवस में इस न्यायालय में अपने अभिमत/प्रस्ताव सहित भेजना सुनिश्चितं करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

कलेक्टर
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अनुभाग - अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक/2025/ 653

दिनांक :- 08/09/2025

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय

जिला - अशोकनगर

विषय :- तुलसी सरोवर तालाब जिला अशोकनगर अंतर्गत मूर्ति स्थापना के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आदेश क्रमांक/क्यू/रीडर/क्ले./2025/1281 दिनांक 08.09.2024

---००---

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में अनुरोध है कि श्रीमान के आदेशानुसार गठित दल द्वारा दिनांक 08.09.2025 को मूर्ति स्थापना किये जा रहे स्थल निरीक्षण एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

// प्रतिवेदन //

1. तहसीलदार अशोकनगर द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकनगर को भेजे गये पत्र क्र. 300 दिनांक 22.05.2024 में निर्माणाधीन स्थल ग्राम पछारी में ग्राम सर्वे क्र. 276 रकबा 3.826 हे. खातेदार म.प्र. शासन, सर्वे क्र. 274 रकबा 0.282 हे. खातेदार म.प. शासन खदान मुरम, सर्वे क्र. 275 रकबा 0.063 हे. खातेदार म.प्र. शासन खदान मुरम, सर्वे क्र. 273/1 रकबा 4.756 हे. खातेदार म.प्र. शासन खाल खद्दर सर्वे क्र. 273/2 रकबा 0.345 हे. खातेदार भारतभूषण पुत्र रमाशंकर अग्रवाल, सर्वे क्र. 273/3 रकबा 0.366 खातेदार भारतभूषण पुत्र रमाशंकर अग्रवाल सर्वे क्र. 273/3/2 रकबा 0.052 हे. खातेदार म.प्र. शासन में सभी नम्बरों के मध्य अंशभाग पर निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्ट अनुसार राजस्व अभिलेखों में तालाब निर्माण से पूर्व उक्त भूमि मुरम खदान, खाल खद्दर एवं निजी भूमि के रूप में दर्ज होना पाया गया।

2. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग अशोकनगर द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकनगर को भेजे पत्र क्रमांक 1260 दिनांक 24.05.2024 में तुलसी सरोवर तालाब का निर्माण 1972 से 1976 के मध्य हुआ था। इस तालाब का मुख्य उददेश्य इसकी नहर के कमाण्ड क्षेत्रों में स्थित ग्रामों की 202 हेक्टेयर भूमि का सिंचन किया जाना था। वेटलेण्ड नियम 2017 की धारा 2 के 'नियम-6' के अनुसार इसे आर्द भूमि में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। **"भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर 2017 में जारी अधिसूचना क्रमांक 802 में उल्लेखित धारा-2 (छ) "आर्द्रभूमि से कोई क्षेत्र या कच्छ पंक, पीटभूमि या जल; प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, जल जो ठहरा है या बहते, ताजे, खारे या लवणीय, जिसके अंतर्गत समुद्री जल का जिसकी गहराई ज्वार की स्थिति छः मीटर से अधिक की न हो अभिप्रेत है, परंतु इसमें नदी जल मार्ग, धान के खेत, पेयजल प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से मानव निर्मित जल निकाय/जलाशय, मत्स्यपालन, नमक उत्पादन और सिंचाई प्रयोजनों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित संरचनाएं सम्मिलित नहीं है।"**

27

तुलसी सरोवर तालब में वर्तमान में मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन का कार्य कराया जा रहा है। स्पष्ट है कि उक्त तुलसी सरोवर मानव निर्मित संरचना होकर वर्तमान में मत्स्य पालन हेतु उपयोगित होने के कारण वेटलैंड नियम 2017 की धारा-2 (छ) की श्रेणी के अंतर्गत आर्द्र भूमि से पृथक किये जाने का पर्याप्त आधार रखता है।

अतः प्रतिवेदन अनुशंसा सहित श्रीमान की ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(विनोद उपाध्याय)
मु.न.पा. अधिकारी
न.पा. अशोकनगर

(अशोक अहिरवार)
कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन विभाग अशोकनगर

(बृजबिहारीलाल श्रीवास्तव)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुभाग - अशोकनगर

कार्यालय कलेक्टर (शहरी विकास) जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक/ इड़ा /2025 // 425 दिनांक :- 09/09/2025

प्रति,

कार्यपालन संचालक
एप्को एवं सदस्य सचिव
म.प्र. राज्य वेटलैंड प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- तुलसी सरोवर तालाब अशोकनगर को आर्द्र भूमि क्षेत्र से पृथक किये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक 1963 / MPSWA / EPCO / 2025 दिनांक 25.08.2025

--०--

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि तुलसी सरोवर, तालाब अशोकनगर में श्री हनुमान प्रतिमा स्थापना के संबंध में आपके संदर्भित पत्र में उल्लेखित प्रतिबंधित गतिविधियों पर आवश्यक कार्यवाही हेतु लेख किया गया है। वर्तमान में तुलसी सरोवर तालाब पर कोई भी निर्माण कार्य नही किया जा रहा है एवं वेटलैंड नियम 2017 की धारा-4(2) का कोई उल्लंघन नही किया जा रहा है के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अशोकनगर, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग अशोकनगर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोकनगर के तीन सदस्यीय दल का गठन किया गया। संयुक्त दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रतिवेदन में संयुक्त दल द्वारा जांच उपरांत पाया गया कि निर्माणाधीन स्थल ग्राम पछारी में ग्राम सर्वे क्र. 276 रकबा 3.826 हे. खातेदार म.प्र. शासन, सर्वे क्र. 274 रकबा 0.282 हे. खातेदार म.प. शासन खदान मुरम, सर्वे क. 275 रकबा 0.063 हे. खातेदार म.प्र. शासन खदान मुरम, सर्वे क. 273/1 रकबा 4.756 हे. खातेदार म.प्र. शासन खाल खद्दर सर्वे कमांक 273/2 रकबा 0.345 हे. खातेदार भारतभूषण पुत्र रमाशंकर अग्रवाल, सर्वे क्र. 273/3 रकबा 0.366 खातेदार भारतभूषण पुत्र रमाशंकर अग्रवाल सर्वे क. 273/3/2 रकबा 0.052 हे. खातेदार म.प्र. अंकित है।

उक्त समस्त सर्वे क्रमांक तुलसी सरोवर तालाब जो कि वर्तमान में जल संसाधन विभाग के आधिपत्य में है के अंतर्गत आते है। यह भी स्पष्ट है कि उक्त सरोवर तालाब का निर्माण 1972 से 1976 के मध्य हुआ था। वर्तमान में उक्त तालाब का उपयोग मत्स्य पालन हेतु किया जा रहा है।

संयुक्त दल द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत तुलसी सरोवर का प्रयोजन सिंचाई एवं मत्स्य पालन होने से वेटलैंड नियम 2017 की धारा-2 (छ) के अनुसार उक्त सरोवर विशिष्ट रूप से निर्मित संरचना में मत्स्य पालन होने के कारण आर्द्र भूमि क्षेत्र से पृथक किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः संयुक्त दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर तुलसी सरोवर तालाब अशोकनगर को आर्द्र भूमि क्षेत्र से पृथक किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र सादर प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(आदित्य सिंह)
कलेक्टर
जिला - अशोकनगर (म.प्र.)

29

"Sochalay"
(शौचालय)
Raghuwanshi
Dharmshala
Shop
Shop
Temple

GPS Map Camera
Ashoknagar, Madhya Pradesh, India
Hpjp+f26, Bypass Rd, Soni Colony, Om Colony, Ashoknagar, Madhya Pradesh 473331, India
Lat 24.581551° Long 77.735498°
Wednesday, 29/10/2025 12:24 PM GMT +05:30
Google

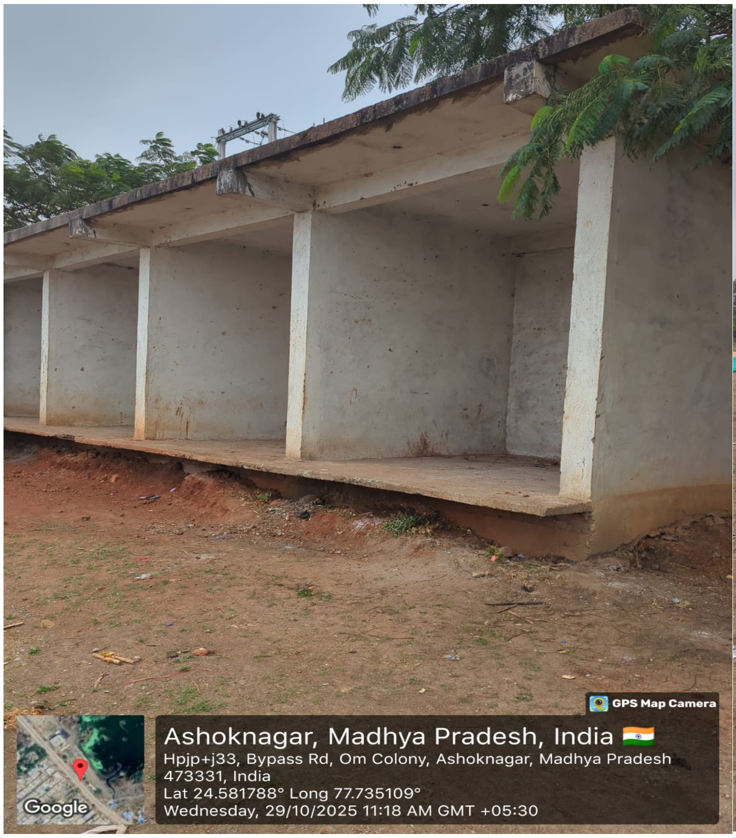

Shop (दुकान)

Sochalay (शौचालय)

Raghuwanshi Dharmshala

Service of JCR in OA 136/2025 Manik Bhattacharyya Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Mon, Nov 10, 2025 03:23 PM

Subject : Service of JCR in OA 136/2025 Manik Bhattacharyya Vs State of Madhya Pradesh & Ors. 1 attachment

To : mpswa epco gov <mpswa.epco.gov@gmail.com>, adv007mainak mb <adv007mainak.mb@gmail.com>, ED EPCO EPCO Bhopal <ed.epco@mp.gov.in>, dmashoknagar <dmashoknagar@nic.in>, Shri R P Gupta <secy-moef@nic.in>, eewd ashoknagar <eewd_ashoknagar@yahoo.com>

Cc : parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>, harnengt <harnengt@gmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed the Joint Committee Report filed by MPPCB in compliance of order darted 25.09.2025 passed by the Hon'ble NGT (CZ) in OA 136/2025 Manik Bhattacharyya Vs State of Madhya Pradesh & Ors. This mail be considered as proof of service.

Regards
Legal Section
MP PCB

JCR 136-2025 Manik bhatacharya vs State of MP.pdf
13 MB